न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवा राम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–1005/2017

रूपनारायण पुत्र मंगला, जाति मीना, निवासी ग्राम ढण्ड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–अपीलार्थी/वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

– रेस्पोडेंट/प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री राजेश कुमार पारीक अपीलार्थी की ओर से।

2– श्री जी0 एल0 मीणा रेस्पोडेंट की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 29–01–2018

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.05.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर मु.स. 177/2012 उनवानी रूपनारायण बनाम राज्य सरकार प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इन आधारों पर वाद प्रस्तुत किया कि प्रताप पुत्र मन्ना की खातेदारी भूमियां ग्राम ढण्ड में स्थित हैं। जिसमें हाल खसरा नम्बर 403, 687, 688, 718, 719, 1013, 1014, 1016/1421, 152, 135/1389, 134 एवं वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 97 है खसरा नम्बर 97 रकबा 0.80 हैक्टै0 में प्रताप पुत्र मन्ना का हिस्सा 1/6 दर्ज है जो आज भी दर्ज है।प्रताप पुत्र मन्ना की अन्य भूमियों में फौती नामान्तकरण मंगला पुत्र त्रिलोक का स्वीकृत हो गया था क्योंकि प्रताप का कोई प्राकृतिक वारिस नहीं था, मंगला प्रताप के गोद आया था इसी हैसियत से अन्य भूमियां मंगला के नाम दर्ज हो चुकी है।प्रताप का एकमात्र वारिस वादी है जिसने तहसीलदार को आवेदन किया परन्तु नामान्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई है और अधिकारों की घोषणा करवाने हेतु तहसीलदार जी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने की कहने पर वाद पेश किया गया। वाद में उक्त तथ्यों के साथ ही अपने खातेदारी अधिकार होने से प्रताप के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 97 रकबा 0.80 हैक्टै0 में हिस्सा 1/6 वादी को खातेदार घोषित करने की प्रार्थना चाही गई। दिनांक 12.05.2017 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया जाकर वादी का वाद खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में कथन किया गया है कि वाद पत्र की पत्रावली में समस्त रिकॉर्ड पेश किया गया था जिसमें प्रताप पुत्र मन्ना की भूमियां खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

नम्बर 353, 426, 526 का फौती नामान्तकरण भी पेश किया गया जो प्रताप के फौत होने पर उसके वारिस मंगला पुत्र त्रिलोक के नाम स्वीकार हुआ हैं जिससे स्पष्ट है कि मंगला ही प्रताप का वारिस हैं।अन्य रिकॉर्ड भी पेश किया गया है। मंगला पुत्र त्रिलोक का एकमात्र वारिस वादी है जिसके नाम मंगला की भूमियां दर्ज हुई है और इस प्रकार कोई अन्य पक्षकार नहीं है जिसे वाद पत्र में भी स्पष्ट किया गया है कि परन्तु बेवजह अन्य पक्षकारों का हवाला देकर बिना तथ्य के जल्दबाजी में वाद खारिज कर भारी भूल की है जो निरस्तनीय है। अपीलान्ट को कोई सूचना उक्त प्रश्नाधीन निर्णय की नहीं दी गई है। अपीलान्ट कैम्प में उपस्थित हुआ और उसके हस्ताक्षर उपस्थिती दर्ज करवाने के लिए करवा लिये।इसके पश्चात दिनांक 13.09.2017 को तारीख पेशी मालूम की गई तो ज्ञात हुआ कि कैम्प में वाद खारिज कर दिया गया हैं।जब प्रताप के कोई वारिस वादी के अतिरिक्त नहीं है तो किसे पक्षकार बनाया जावे, यह भी निर्णय में अंकित नहीं है।वादी ने शपथपूर्वक वाद प्रस्तुत किया है कि अन्य कोई वारिस नहीं है ना ही ऐसी कोई जानकारी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आयी है मात्र पटवारी की रिपोर्ट को आधार बनाकर वाद खारिज किया गया है जिसमें अस्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि अन्य प्रभावित पक्षकार है, कौन पक्षकार है इसका हवाला नहीं दिया क्योंकि पटवारी ने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण सही रिपोर्ट नहीं की है और बिना नामों का उल्लेख कर अस्पष्ट रिपोर्ट की है इसके आधार पर वाद खारिज किया जाना विधिक एवं तथ्यात्मक भूल है। अपीलान्ट कैम्प ढण्ड में दिनांक 12.05.2017 को उपस्थित हुआ था परन्तु आदेशिका शीट पर उपस्थिति दर्ज करवा कर आगामी तारीख दिनांक 24.08.2017 लेकर आ गया था, परन्तु 24.08.2017 को न्यायालय में पत्रावली नही आयी, जिसके बाद नकल की प्रार्थना पत्र पेश की एवं अन्य वाद रूपनारायण बनाम सरकार की नकल कार्यालय द्वारा तैयार की दी गई। पुनः प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त निर्णय एवं पत्रावली की नकल दिनांक 14.09.2017 को प्राप्त की जिसके बाद अपीलार्थी उक्त पत्रावली की नकल अपने अभिभाषक को दे दी थी परन्तु अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पारीक का इसी बीच एक्सीडेन्ट होने के कारण उनके द्वारा अपील पेश नहीं की जा सकी एवं अपीलार्थी ने वकील साहब से सम्पर्क भी नहीं किया परन्तु मियाद गुजरने के बाद दिनांक 12.11.2017 को वकील साहब से तारीख पेशी का मालूम करने पर वकील साहब ने अपील पेश नहीं किये जाने का कारण बताया तब यह अपील पुनः टाईप कर पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम का पेश किया जा रहा है। अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.05.2017 निरस्त फरमाया जाकर वादी का वाद डिक्री किया जाने का अनुतोष चाहा गया।

राजस्व अपील अधिकारी जयपुर

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

5–अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अपीलान्ट/वादी मंगला का पुत्र है तथा मंगला प्रताप पुत्र मन्ना का एक मात्र वारिस था जिसके नाम से प्रताप पुत्र मुन्ना की अन्य भूमि जरिये विरासत नामान्तकरण दर्ज हो चुकी है मात्र खसरा नम्बर 97 रकबा 0.80 हैक्टैयर में प्रताप पुत्र मन्ना के हिस्सा 1/6 का नामान्तरकरण स्वीकार होने से शेष रह गया है। वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत घोषणा का प्रस्तुत कर तथा सजरा खानदान अंकित कर खसरा नम्बर 97 में प्रताप पुत्र मन्ना के 1/6 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम घोषित करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया था।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय में यह उल्लेख करते हुए कि प्रकरण में प्रभावी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ है,वादी का वाद खारिज कर दिया गया है जो कि अनुचित है अतः अपील स्वीकार की जाकर वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

6–अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन का जवाब देते हुए कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 97 के अन्य खातेदार काश्तकार भी है जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिये न्यायालय द्वारा उचित तौर पर वादी का वाद खारिज किया गया हैं।

7–उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। वादी अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत घोषणा यह कथन करते हुए प्रस्तुत किया गया कि वादी के पिता मंगला प्रताप पुत्र मन्ना के एक मात्र वारिस थे तथा उनके नाम प्रताप पुत्र मन्ना की अन्य कृषि भूमि जरिये विरासत खातेदारी में दर्ज की गई है परन्तु वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 97 में निहित प्रताप पुत्र मन्ना का 1/6 हिस्सा के बाबत विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार नहीं किया गया है तथा उक्त भूमि प्रताप पुत्र मन्ना के नाम ही चली आ रही हैं। वादी मंगला का एक मात्र होने से तथा मंगला प्रताप पुत्र मन्ना का एक मात्र वारिस होने से वादग्रस्त भूमि का वह एक मात्र खातेदार काश्तकार है। यह कथन करते हुए वादी अपीलान्ट को खसरा नम्बर 97 के 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुतोष वादी द्वारा चाहा गया। वादी द्वारा अपने वाद–पत्र के साथ जमाबंदी ग्राम ढण्ड संवत 2068–2071 खाता सख्या 115,खाता सख्या 197, खाता 232 व खाता सख्या 306 प्रस्तुत की है वादी द्वारा नामान्तरकरण सख्या 8 (अस्पष्ट) ग्राम ढण्ड दिनांक 09–06–1962 प्रस्तुत किया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन

निर्णय में यह अंकित किया जाकर कि ''प्रकरण में प्रभावी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं हुआ है जिससे वादी का वाद खारिज किया जाता है तथा वादी सभी प्रभावित पक्षकारान को पक्षकार मुकदमा बनाते हुए नये सिरे से वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं,'' वादी का वाद खारिज कर दिया गया हैं।न्यायालय द्वारा अपना उक्त विवेचन तहसीलदार आमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 12/05/2017 के आधार पर किया गया है जिसमें तहसीलदार द्वारा अंकित किया गया है कि वादी रूपनारायण के इस दावे बाबत मौका जानकारी की गई जिसमें पाया कि रूपनारायण के अलावा ओर पारिवारिक सदस्य है जिन्हें पक्षकारान नहीं बनाया गया है। उक्त रिपोर्ट में इस आशय का कोई अंकन नहीं किया गया है कि ऐसे कौनसे पारिवारिक सदस्य है जिन्हें वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त रिपोर्ट पूर्णतया अस्पष्ट है। रिपोर्ट में प्रताप पुत्र मन्ना हिस्सा 1/6 खसरा नम्बर 97 में दर्ज होना स्वीकार किया गया है।वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नामान्तरकरण सख्या 8 ग्राम ढण्ड की जो प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है उससे स्पष्ट है कि प्रताप पुत्र मन्ना का वारिस मंगला पुत्र त्रिलोक हैं। उक्त नामान्तरकरण की पुश्त पर सजरा खानदान अंकित किया गया है जिसमें मंगला पुत्र त्रिलोक को प्रताप पुत्र मन्ना के गोद जाना दर्शाया गया है। उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 09–06–1962 को तस्दीक किया गया है जिसके आधार पर प्रताप पुत्र मन्ना की खातेदारी की भूमि जरिये विरासत मंगला पुत्र त्रिलोक के नाम दर्ज हुई हैं। पत्रावली में उपलब्ध सरपंच ग्राम पंचायत ढण्ड द्वारा जारी कुर्सीनामा की प्रमाणित फोटो प्रति एवं जमाबंदी खाता सख्या 197,खाता 232 व 306 संवत 2068–2071 से स्पष्ट है कि वादी रूपनाराण मंगला का एक मात्र वारिस हैं। इस प्रकार खसरा नम्बर 97 से संबंधित जमाबंदी के खाता सख्या 115 संवत 2068 से 2071 में जो 1/6 हिस्सा प्रताप पुत्र मन्ना के नाम दर्ज हैं वह जरिये विरासत मंगला को तथा तत्पश्चात वादी रूपनारायण को प्राप्त होना स्पष्ट हैं। इस प्रकार वादी रूपनारायण को खसरा नम्बर 97 के 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार प्रताप पुत्र मन्ना के स्थान पर स्थापित किया जाना उचित हैं। जहॉ तक अन्य पक्षकारान का प्रश्न है न तो तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है कि वे अन्य पक्षकारान कौन है तथा वादी द्वारा मात्र प्रताप पुत्र मन्ना के 1/6 हिस्से की खातेदारी में स्वयं का नाम प्रतिस्थापित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है इसलिये खसरा नम्बर 97 के अन्य खातेदार काश्तकारान को पक्षकारान बनाये जाने की आवश्यकता नही है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री सरसरी तौर पर तथा बिना किसी आधार के पारित की गई हैं जो बहाल रखे जाने योग्य नही है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 5 उपुर्यक्त तथ्यों के प्रकाश में गुणावगुण के

राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

आधार पर स्वीकार किया जाकर अपील अन्तर्गत मियाद शुमार की जाती है तथा उपुर्यक्त विवेचन से अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

8– अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12–05–2017 अपास्त किया जाता है तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को खसरा नम्बर 97 के 1/6 हिस्से में प्रताप पुत्र मन्ना के स्थान पर खातेदार काश्तकार प्रतिस्थापित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 29–01–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर